

समाहरणालय, मधेपुरा
(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक...../सा0सु0को0.

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा,
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज।

मधेपुरा, दिनांक...../

विषय:-

वालू वित्तीय वर्ष-2013-14 में राज्य योजनावर्गत लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में
(सामान्य घटक) के पेंशनधारियों को नगद पेंशन भुगतान हेतु द्वितीय किस्त कुल
₹0-61,20,000=00 (एकसठ लाख बीस हजार) रुपये मात्र का उपावंटन।

प्रसंग:-

निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार-पटना के पत्र सं0-01/सा0सु0 बजट-लक्ष्मीबाई सा0सु0 पेंशन-08/2013-
स0क0-40 पटना, दिनांक-01/07/2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98 एवं 7729
दिनांक-26.07.2012 में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यदेश सं0-1002 दिनांक-14.05.2013 के आलोक
में सामान्य घटक के पेंशनधारियों को पेंशन के नगद भुगतान हेतु द्वितीय किस्त संलग्न विवरणी के रतम्भ-5 के अनुसार कुल ₹0
61,20,000=00 (एकसठ लाख बीस हजार) रुपये मात्र का उपावटित किया जाता है।

- 2- उपावटित राशि माँग सं0-51, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा
तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-102-समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन, उप-शीर्ष-0105-लक्ष्मीबाई सामाजिक
सुरक्षा पेंशन योजना, विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा, विवरणी कोड
संख्या-P-2235601020105 तथा स्कीम कोड-WEL-5504 से विकलनीय होगा।
- 3- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे उपावटित राशि कोषागार से निकारी कर शिथिल के माध्यम से
पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- 4- जिस मद में राशि उपावटित की गई है उसे उसी मद में व्यय किया जायगा।
- 5- उपावटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा को निश्चित रूप से उपलब्ध
करायी जाय।
- 6- उपावटित राशि का विवरणी संलग्न है।
उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

311-2/1603-15-7-2013

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

प्रतिलिपि:-

कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

वित्तीय वर्ष-2013-14 में लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (सामान्य घटक) के तहत पेंशन भुगतान हेतु सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा (31 06) मद में प्रखण्डवार/निकायवार द्वितीय उपावंटन तालिका:-

क्र०	प्रखण्ड/नगर निकाय का नाम	पेंशनधारियों की संख्या	पूर्व उपावंटन राशि	वर्तमान में उपावंटन	कुल उपावंटन राशि
1	2	3	4		
1	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	215	322500	387000	709500
2	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर	185	324500	333000	657500
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया	88	132000	279700	411700
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धैलाढ़	129	193500	444500	638000
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर	49	73500	88200	161700
6	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुमारखण्ड	65	97500	157000	254500
7	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज	98	147000	176400	323400
8	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	400	600000	1944000	2544000
9	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा	136	204000	244800	448800
10	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज	74	111000	133200	244200
11	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर	125	187500	495600	683100
12	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौरसा	182	273000	939800	1212800
13	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुरैनी	102	153000	183600	336600
14	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा	123	184500	221400	405900
15	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज	51	76500	91800	168300
	कुल योग :-	2022	3080000	6120000	9200000

मो० (एकसठ लाख बीस हजार) रुपये मात्र


जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।